

**सीएसआईआर-केन्द्रीय इलेक्ट्रॉनिकी अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान,  
पिलानी (राजस्थान)**

6-12(1)/2014-Cleaning

दिनांक 14.11.2014

**निविदा सूचना**

**विषय:- सीरी, पिलानी में सफाई कार्य**

सीरी संस्थान में सफाई कार्य जिसकी वार्षिक लागत लगभग 15 लाख रुपये है, का सम्पन्न करने हेतु अनुभवी ठेकेदार जो कि संविदा (श्रम-विनियम एवं अन्मूलन अधिनियम, 1970 के तहत वैध पंजीकृत लाइसेंस धारी हो) से मुहरबंद निविदायें आमंत्रित की जाती हैं। निविदा प्रपत्र दिनांक 18.11.2014 से 01.12.2014 तक रुपये 200/- का डी.डी. निदेशक, सीरी के नाम से जमा करवाने के बाद अनुभाग अधिकारी ई -III से प्राप्त किये जा सकते हैं। कार्य करने की दरें संलग्न Annexure-1 में दी जानी होंगी। इच्छुक निविदादाता दिनांक 02.12.2014 को 3.00 बजे तक प्रशासनिक अधिकारी के कार्यालय में अपने निविदा प्रपत्र को हस्ताक्षर सहित सील बन्द लिफाफे में जमा करवा सकते हैं। इसके बाद प्राप्त हुई निविदाओं पर विचार नहीं किया जायेगा। **लिफाफे पर कार्य का नाम, निविदा खोलने की तिथि एवं समय (बड़े अक्षरों में) अवश्य लिखें**। हस्ताक्षर युक्त निविदाये उसी दिन सायं 3.30 बजे खोली जायेंगी। यदि कोई निविदादाता निविदा खोलने के समय उपस्थित होना चाहे तो संस्थान को कोई आपत्ति नहीं है। निविदाकर्मी यह ध्यान रखें कि इंटरनेट से डाउनलोडेड टेंडर फार्म स्वीकार नहीं होंगे।

**पात्रता:-**

निविदादाता सरकारी विभागों/केन्द्रीय लोक निर्माण विभागों/सार्वजनिक प्रतिष्ठानों अथवा सीएसआईआर की प्रयोगशालाओं में इस प्रकार का एक वर्ष का कार्य (जिसमें न्यूनतम 10 कामगार लगाये गये हों) करने का अनुभव रखता हो। निविदादाता को इस संबंध में निम्नलिखित प्रमाण पत्रों की प्रति निविदा के साथ अवश्य संलग्न करनी होगी अन्यथा निविदा रद्द कर दी जायगी :-

1. PAN/TAN No. की प्रतिलिपि
2. अनुभव प्रमाण पत्र
3. सेवा कर पंजीकरण प्रमाण पत्र
4. श्रम विनियम एवं उन्मूलन अधिनियम, 1970 CL(R&A)ACT,1970 के तहत वैध पंजीकृत लाइसेंस का प्रमाण पत्र
5. कर्मचारी भविष्य निधी प्रमाण पत्र
6. रुपये 20,000/- का बैंक डाफ्ट (EMD) की राशि

## कार्य का विवरण

अ

1. संस्थान के कमरों, प्रयोगशालाओं, शौचालयों तथा संस्थान परिसर को जोड़ने वाली समस्त सड़कों और संस्थान परिसर की सफाई करना, केन्द्रीय भण्डार के पीछे स्थित गैरेज की सफाई, संस्थान परिसर के आगे व पीछे के स्थान की सफाई, जनरेटिंग रोड की सफाई ।
  - (i) संस्थान परिसर का क्षेत्र 5000 वर्गमीटर (लगभग)
  - (ii) कॉलोनी में स्थित संस्थापनों का एवं होस्टल का क्षेत्र 26900 वर्ग मीटर (अनुमानित)
2. संस्थान कॉलोनी परिसर में स्थित विभिन्न संस्थापनों जैसे पावर हाउस, पानी की टंकियाँ/पंप, अतिथि गृह, आरोग्य निकेतन (डिस्पेन्सरी), जल पूर्ति टैंक, सम्पदा कार्यालय, ओपन एयर थियेटर, आक्सीडेशन पौंड, हाईड्रोजन संयंत्र, सामूदायिक केन्द्र, भटनागर व ठक्करहाल, आर.ओ. प्लांट एवं गाँधी हॉल तथा उनको जोड़ने वाली समस्त सड़कों की सफाई करना।
3. संस्थान परिसर एवं कॉलोनी में स्थित विभिन्न संस्थापनों के परिसर से कूड़े-कचरे को संस्थान की ट्रैक्टर ट्रॉली द्वारा उठाकर कॉलोनी में मंदिर के पास वाले गड्ढे में डालकर प्रतिदिन जलाना ।
4. सीरी परिसर में यदि कोई जानवर या पक्षी मर जाता है तो उसे उठाकर जंगल में दूर ले जाकर चार फुट गहरा गड्ढा खोद कर दफनाना ।
5. उपरलिखित कार्य संस्थान के सुरक्षा अधिकारी के देख-रेख में होंगे ।

ब.

उपरोक्त के अलावा संस्थान में निम्नलिखित नवनिर्मित भवनों के कार्य भी शामिल होंगे

1. संस्थान में नवनिर्मित MWT प्रयोगशाला की सफाई, जिसका क्षेत्रफल (लगभग) 2000 वर्ग मीटर है ।
2. 04 नवनिर्मित मूत्रालय/शौचालय की सफाई ।
3. नवनिर्मित H Type hostel के कम्पाउन्ड की सफाई ।
4. ए-सीएसआईआर के लिए नवनिर्मित कक्षा भवन ।
5. केन्द्रीय भण्डार के पीछे रास्ते में पड़े मलबे एवं बेकार पड़ी वस्तुओं/कबाड़ों को जंक यार्ड में भिजवाने की व्यवस्था करना ।
6. उपरोक्त कार्यों के अलावा संस्थान परिसर एवम् उसके आस पास तथा संस्थान के भीतरकी गैलरियों में बेकार पड़े फनीचरों आदि को गैलरी से हटाना तथा उन्हें स्टोर में भिजवाने में सहयोग करना ।

कार्य की शर्तें

1. कूड़ा कचरा सड़कों के किनारे तथा कूड़ेदानों में नहीं जलाया जायेगा ।
2. ठेकेदार को रूपये 20,000/- की राशि बतौर बयाना (EMD) राशि डिमान्ड ड्रफ्ट निदेशक, सीरी पिलानी के नाम से बनवाकर निविदा के साथ लगाना अनिवार्य है । कार्यादेश प्राप्त हो जाने पर यदि ठेकेदार 10 दिनों के अन्दर कार्य शुरू नहीं करता है, तो EMD की राशि जब्त कर ली जायेगी ।
3. सफाई कार्य की अवधि एक वर्ष तक होगी परंतु इस अवधि में यदि कार्य संतोषजनक नहीं पाया गया तो निदेशक, सीरी द्वारा ठेके के कार्यक्षेत्र के किसी भी भाग को अथवा पूर्ण रूप से किसी भी समय रद्द किया जा सकता है ।
4. सफाई हेतु मजदूर एवं जरूरत के सभी औजारों की व्यवस्था स्वयं ठेकेदार को करनी होगी ।
5. ठेकेदार की कोई भी शर्तें मान्य नहीं होगी । ठेके पर लगाये जाने वाले कर्मचारी ठेकेदार के नियंत्रण व देख रेख में रहेंगे और उसे ठेकेदार द्वारा मजदूरी का भुगतान किया जायेगा । साथ-साथ श्रम नियमों व अन्य संवैधानिक प्रावधानों के अर्न्तगत जैसे EPF, ESI, Service Tax तथा Work Man Compensation Act. जैसे अन्य देन-दारियाँ भी ठेकेदार द्वारा देय होंगी ।
6. निविदा का हर पृष्ठ निविदादाता द्वारा दिनांक सहित हस्ताक्षरित होना चाहिये तथा अंत में कुल पृष्ठों की संख्या उल्लेखित होनी चाहिये और उस पर सीरी पिलानी में जमा की हुई बयाना(EMD) धनराशि का डी.डी. नम्बर व तारीख भी अंकित होनी चाहिए ।
7. भुगतान कार्य के आधार पर प्रतिमाह बिल प्राप्त होनेपर किया जायेगा तथा कार्य संतोषजनक नहीं करने पर भुगतान में कटौती का अधिकार प्रशासनिक अधिकारी व सुरक्षा अधिकारी के पास सुरक्षित होगा ।
8. ठेकेदार को एक रजिस्टर रखना होगा । जिसमें वह दैनिक कार्य का लेखा जोखा रखेगा एवं साथ ही उसे दैनिक कार्य का सत्यापन सुरक्षा अधिकारी द्वारा करवाना होगा । माह के अन्त में उसे बिल के साथ-साथ इस रजिस्टर को भी प्रस्तुत करना होगा ।
9. ठेकेदार द्वारा नियुक्त कर्मचारी ठेकेदार के अधीन ही माने जायेंगे और उनमें से किसी भी व्यक्ति को सीरी अथवा सीएसआईआर में किसी भी पद पर नियुक्ति का दावा करने का अधिकार नहीं होगा ।
10. ठेकेदार का यह दायित्व होगा कि ठेका समाप्त होने पर अपने द्वारा नियुक्त किये गये सभी व्यक्तियों को कार्य से मुक्त कर दें तथा यह सुनिश्चित करें कि उसका कोई भी कर्मचारी सीरी/सीएसआईआर को किसी भी प्रकार का नुकसान न करे अथवा समस्या पैदा न करे तथा संस्थान की प्रतिष्ठा को नुकसान न पहुँचाये ।
11. ठेकेदार द्वारा नियुक्त व्यक्ति कार्य स्थल पर अपना पहचान पत्र आवश्यक रूप से धारण करेंगे ।
12. ठेकेदार का यह दायित्व होगा कि अपने द्वारा नियुक्त व्यक्तियों का चरित्र प्रमाण पत्र पुलिस सत्यापन करायें तथा इसकी एक प्रति कार्यालय में देनी होगी ।

13. ठेकेदार को कार्य आबंटन होने पर कार्यादेश दिया जायेगा । ठेकेदार को कार्यदेश मिलने के सात दिनों के अन्दर रूपये 100/- मूल्य के स्टॉप पेपर पर करार नामे पर हस्ताक्षर कर कार्यालय को सुर्पद करना होगा ।
14. कुल कार्य दिवस सप्ताह में 6(छः) दिन होंगे । इस संबंध में कार्य की शर्तें तथा विवरण आदि अनुभाग अधिकारी ई -III से प्राप्त की जा सकती है ।
15. अधूरी/सर्शत निविदाओं को रद्द माना जायेगा ।
16. निविदादाता प्रत्येक सफाई कर्मचारी के भविष्य निधि खाता संख्या (EPF) के भुगतान को दर्शाती हुई रसीद की प्रतिलिपि (प्रथम माह को छोड़ कर अगले माह से) लगायेगा । यदि इस प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति नहीं लगाई जायेगी तो उसका भुगतान रोक लिया जायेगा ।
17. निविदादाता यदि सेवाकर (Service Tax) के दायरे में आता है तो उसे सेवा कर चुकाये जाने संबंधी रसीद अपने बिलों में संलग्न करना होगा, ताकि इसकी प्रतिपूर्ति की जा सके ।
18. निविदा प्रपत्र रूपये 200/- का डी.डी. निदेशक, सीएसआईआर-सीरी के नाम से जमा करवाने के बाद, अनुभाग अधिकारी ई-III से प्राप्त किये जा सकते हैं । तथा इसी निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न Annexure-1 पर ही कार्य करने की दरें दी जानी आवश्यक है । निर्धारित तिथियों के बाद प्राप्त हुई निविदाओं पर विचार नहीं किया जायेगा । लिफाफे पर निविदा खुलने की तिथि, समय एवं कार्य का नाम (बड़े अक्षरों में) अवश्य लिखें ।

अनुभाग अधिकारी

प्रतिलिपि:-

1. नगरपालिका विद्या विहार, पिलानी
2. नगरपालिका, पिलानी
3. नगरपालिका, झुँझुँन्
4. रजिस्ट्रार, बी.आई.टी.एस., पिलानी
5. निदेशक बी.टी.टी.आई. पिलानी
6. बिरला सार्वजनिक अस्पताल, पिलानी
7. महादेव सिंधी नेत्र अस्पताल, पिलानी
8. सूचना पट्ट, सीरी पिलानी
9. सीरी वेबसाइट (डाउनलोड किये जाने के लिए नहीं है केवल सूचना हेतु है स्

## Annexure-1

उपयुक्त समस्त कार्यो के लिये निम्नलिखित दरें होंगी ।

1. लगाये गये मजदूरों की संख्या 14 (चौदह)
2. न्यूनतम मजदूरी (Government of Indian Ministry of Labour & Employment No. 1/6(7)/2002-LS-II DATED 16.03.2012 के अनुसार)  
अकुशल कामगार प्रति व्यक्ति की दर .....
3. ई पी एफ की दर (13.61%) ..... कुल .....
4. सेवा कर की दर (12.36) ..... कुल .....
5. अधिभार:- (ठेकेदार का लाभ) .....

कुल रूपये .....

अग्रिम धनराशि रूपये 20,000 की रसीद संख्या ..... दिनांक .....  
ठेकेदार को देय राशि से नियमानुसार आयकर की कटौती की जायेगी ।

निविदादाता के हस्ताक्षर .....

निविदादाता का नाम .....

पता .....

मोबाई नं. ....

नोट:-

1. बिन्दु 2 पर VDA(Variable dearness allowance) भी देय है ।
2. ठेकेदार का लाभ 1 व 2 पर ही लागू माना जाएगा ।